कार्यालय नगर पालिका परिषद मोहम्मदी–खीरी

पत्रांक 257 / न0पा0प0मो0 / प्रा0आ0यो0 / 16–17 दिनांक 26/8/16

नगर पालिका परिषद मोहम्मदी के निवासियों के लिये

स्वयं का आवास बनाने का सुनहरा अवसर

–:आवश्यक सूचना:–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सबके लिए आवास हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। सभी आवासहीन परिवारों को इस योजना मे वर्णित नीति के अन्तर्गत आवास हेतु लाभ दिया जाना है। इस हेतु नगर पालिका परिषद मोहम्मदी–खीरी क्षेत्र के इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर कार्यालय नगर पालिका परिषद मोहम्मदी–खीरी मे दिनांक 09.09.2016 तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।

योजना का नाम:– प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास(शहरी)

पात्रता की शर्तें:–

1. भारत मे कही भी पक्का आवास नही होना चाहिए।
2. आर्थिक रूप से कमजोर(EWS) वर्ग के लिये वार्षिक आय सीमा रू0 3.00 लाख तथा निम्न आय(LIG) वर्ग के हितग्राहियों के लिये वार्षिक आय सीमा रू0 3.00 लाख से 6.00 तक है।
3. बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति जो वर्तमान मे चालू हो।
4. आधारकार्ड, वोटरकार्ड की छायाप्रति एवं मोबाइल नम्बर जो चालू हो।
5. जाति प्रमाण पत्र(आरक्षित वर्ग मे हों तो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
6. विकलांग प्रामण–पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) की छायाप्रति।
7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / भूतपूर्व सैनिक आदि हो तो उनके प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
8. भू–स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज की छायाप्रति।
9. लाभार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र भर प्रत्येक दशा मे दिनांक 09.09.2016 तक सम्बन्धित कार्यालय नगर पालिका परिषद मोहम्मदी जमा करना है। अन्यथा लाभार्थी उक्त योजना का लाभ वर्ष 2022 तक नही ले पायेगा।

नोट:–

1. अधिक जानकारी के लिये पारियोजना अधिकारी डूडा लखीमपुर–खीरी अथवा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मोहम्मदी–खीरी से सम्पर्क कर सकते है।
2. आवेदन फार्म डूडा की बेबसाईट पर उपलब्ध है। जिसे **www.sudaup.org** से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन हेतु कोई शुल्क नही है।

(ए0के0 बाजपेई)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मोहम्मदी–खीरी

(दुर्गा मेहरोत्रा)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
मोहम्मदी–खीरी

1232
letter a4

संख्या व दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय खीरी।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) को जिला खीरी की बेबसाईट पर जनहित मे प्रकाशन हेतु।
3. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार मोहम्मदी–खीरी।
4. संवाददाता दैनिक जागरण लखनऊ एवं दैनिक अमर उजाला बरेली को न्यूनतम व्यय सीमा मे आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ।
5. कार्यालय सूचना पट पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मोहम्मदी–खीरी

1233
letter a4